अतिमहत्वपूर्ण / तत्काल

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 1585 / 11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊः दिनांकः फरवरी 06 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–112 / 81–2–2019–79 / 91, दिनांक 26.12.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पृष्ठांकन सं0–1274 / 11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 26.12.2019 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पत्रांक–1289 / 11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 30.12.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1464 / 11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 23.01.2020

महोदय,

उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में दो बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना / आख्या स्पष्ट सहमति / संस्तुति सहित प्रेषित करने हेतु मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको लिखा गया था। इसी क्रम में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.01.2020 के द्वारा आपको विषयगत प्रकरण में अपनी अध्यक्षता में जॉच समिति गठित करते हुये उ0प्र0 शासन की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण सहित प्रभागीय वनाधिकारियों की भूमिका एवं जॉच आख्या अपनी स्पष्ट सहमति / संस्तुति मय अभिलेखों के साथ तीन प्रतियों में तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु इसके बावजूद भी आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.01.2020 का संज्ञान लिये बिना ही आधी–अधूरी सूचना / आख्या अपने पत्रांक–3549 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 29.01.2020 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जोकि उचित नहीं है।

अतः विषयगत प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.01.2020 के अनुपालन के क्रम में अपनी अध्यक्षता में जॉच समिति गठित करते हुये उ0प्र0 शासन की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण सहित प्रभागीय वनाधिकारियों की भूमिका एवं जॉच आख्या अपनी स्पष्ट सहमति / संस्तुति मय अभिलेखों सहित तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। विषयगत प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति का है। इसे अतिआवश्यक समझें, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

6/2/20

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1585 / 11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/2/20

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2177